

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय

वेज़ नम्बर 24-25
दक्षिण मार्ग, सेक्टर 31 ए
चण्डीगढ़-160030
दिनांक: 24.10.2016

F.No. :- 9-HRB161/2016-CHA

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),
हरियाणा सरकार,
हरियाणा सिविल सचिवालय,
चण्डीगढ़-160001

विषय:- Diversion of 0.0130 ha. of forest land for access to Essar Oil Ltd. retail outlet of along Sirsa-Ellenabad road Km. stone 48 R/side, Chainage 48.140 at Village Mallekan, under forest division and District Sirsa, Haryana.

संदर्भ:- 1 प्रधान सचिव वन के पत्र क्रमांक प्रशा-डी-तीन 6805/2384 दिनांक 28.10.16

2 नोडल आफिसर एवं वन संरक्षक (FC) के पत्र संख्या प्रशा-डी-तीन 6805/2866 दिनांक 28.11.16

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन अधिनियम (संरक्षण), 1980 की धारा 2-के अधीन अनुमति मांगी गई है।

2 राज्य सरकार के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात उपर्युक्त विषय हेतु 0.0130 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए सैधांतिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरी करने पर प्रदान की जाती है।

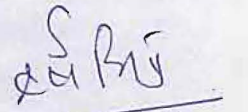
- प्रयोक्ता एजेंसी से स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाये।
- माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि की नैट प्रजेंट वैल्यु जमा करवाई जाये।
- प्रयोक्ता एजेंसी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की website <http://forestsclearance.nic.in> या <http://efclearance.nic.in> पर ऑनलाइन जमा करवाएगी।

3. अन्तिम स्वीकृति के उपरांत निम्नलिखित शर्तों का पालन भी किया जायेगा।

- वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
- प्रस्ताव के अनुसार कोई वृक्ष/पौधा बाधक नहीं है इसलिए कोई वृक्ष नहीं काटा जायेगा।
- राज्य सरकार के प्रस्तावानुसार केवल 6मीटर चौड़ी वन पट्टी सर्विस लाइन से भूमि प्रवेश करने एवं बाहर निकलने के लिए दी जायेगी।
- वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 11.07.2014 को जारी दिशा-निर्देशों का पालन अवश्य किया जाए।
- Supreme Court के आदेशानुसार जब कभी भी NPV की राशी बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी।
- साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वन भूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे।
- प्रतिपूर्ति पौधारोपण के साथ-साथ उपयुक्त पौधारोपण पहुँच मार्ग, विभाजन द्वीप व अन्य खाली स्थान पर प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान विनियमों के अनुसार किया जायेगा।

- ix. प्रवेश एवं निकास को छोड़कर बाकी हिस्से पर कुछ बुटेदार तथा सजावटी पेड पौधे लगाये जाने चाहिये तथा इस भूमि का कोई व्यापारिक प्रयोग नहीं होना चाहिये और न ही इस पर कोई निर्माण कार्य होना चाहिये।
 - x. पेट्रोल पम्प की पूरी परिधि (Periphery) पर दिवार से 1.5 मीटर जगह छोड़कर 1.0 से 1.5 मीटर के अन्तराल पर Light Crown पेड़ों का वृक्षारोपण किया जाये।
 - xi. इस प्रस्ताव को 15 वर्षों के लिए (07.12.2031) तक अनुमति प्रदान की जाएगी, इसके उपरान्त पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी।
 - xii. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।
 - xiii. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।
 - xiv. वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा।
 - xv. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके।
 - xvi. स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिह्नित की जाएगी।
 - xvii. कूड़ा कर्कट निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जायेगा।
 - xviii. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय-समय पर लगाई जा सकती है।
 - xix. प्रयोक्ता एजेंसी उपरोक्त शर्तों की वार्षिक स्व-अनुपालना रिपोर्ट राज्य सरकार तथा इस क्षेत्रीय कार्यालय को नियमित रूप से भेजेगी।
 - xx. यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।
4. उपरोक्त पैरा-2 के अधीन शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन अन्तिम स्वीकृति के लिए प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा। केन्द्रीय सरकार की अन्तिम अनुमति दिये जाने तक वन भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

भवदीय


8.12.16

(डा. हर्ष मिश्र)

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:-

1. Ministry of Environment, Forest & Climate Change Indira Paryavaran Bhavan Jor Bagh Road Aliganj, New Delhi-110 003.
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा सरकार, C-18, वन भवन सैक्टर 6, पंचकुला हरियाणा।
3. Divisional Forest Officer, Forest Division and Distt. Sirsa, Haryana.
4. M/s Essar Oil Ltd. 2314, 3rd Floor, tower A, Noida 201309, UP.